

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 05/2025

पंजीकरण सं. :- 2025/67

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी खाती कॉलोनी, बारों जिला बारों (राज.) (विक्रेता) मैसर्स संतोष ऑयल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल रोड, बारों जिला बारों (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1-अनुपस्थित खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2-श्री मनोज कुमार जैन अभिभाषक

(अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 13.03.2026

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्जे श्री मोजीलाल कुंभकार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दि. 05.02.2025 को मैसर्स संतोष ऑयल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल रोड, बारों जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता जाति महाजन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और इन्हे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिकृत किया गया था। राजस्थान राज पत्र 01.10.2024 की अधिसूचना संख्या प.5(01)चिस्वा/गुप-3/2023 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा मुझे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 ऑफ 2006) कर धारा 38 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन करने हेतु अधिकृत किया गया था जिसमें क्रम संख्या 4 पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार का नाम अंकित है। श्रीमान् आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्त/खासुओनि/संस्था/2024/2098 दि. 08.10.2024 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई जिसमें क्रम सं. 4 पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार का नाम अंकित है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/खासुओनि/संस्था/2025/101 दि. 15.01.2025 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** के 20 डिब्बों में कुल 10 लीटर घी के पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्त रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** के 04 डिब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता जाति महाजन (विक्रेता) को 1000/- रुपये (अक्षरे एक हजार रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** पैकेट के मूल पैक हीं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-2156 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-2156 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता जाति महाजन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर

तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/51 दिनांक 14.05.2025 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/48/PHLK/Act/2025/48 दिनांक 18.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 28.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/48/PHLK/Act/2025/48 दिनांक 18.02.2025 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी की दुकान से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा 10 डिब्बे जेएमडी सरस के जप्त करना बताया है एवं जप्त किए गए डिब्बों में घी होना जप्ती अधिकारी द्वारा बताया है जबकि अप्रार्थी इस घी का निर्माता नहीं है। अप्रार्थी ने दि. 01.02.2025 को 500 एमएल के 30 डिब्बे अपने घर व दुकान पर दीपक बत्ती करने के लिए मां डिस्ट्रीब्यूटर मांगरोल बाईपास रोड, बारां से खरीद किये थे। अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार से उक्त डिब्बों का निर्माण नहीं किया है तथा उक्त डिब्बे खाने के लिए नहीं थे, मात्र पूजा करने व दीपक लगाने के लिए थे। इस प्रकार जप्त किये गये डिब्बे मानव जीवन के लिए किसी प्रकार से घातक नहीं थे। अगर अप्रार्थी रीचेकिंग के लिए आवेदन करता है तो उसमें 03 माह का समय लग जाता है और सेम्पल की एक्सपायरी तिथि निकल जाती है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करें तथा माननीय न्यायालय अप्रार्थी को किसी भी रूप में दोषी मानता है तो विक्रेता/उत्पादक मां डिस्ट्रीब्यूटर मांगरोल बाईपास रोड, बारां के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थी को आदेशित करें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.12.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत जवाब के साथ सेम्पल लिये गये **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** का क्रय बिल की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा उनके कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2025/51 दिनांक 14.05.2025 से अप्रार्थी से खरीद बिल एवं फर्म से संबंधित दस्तावेज, मालिक का आधार कार्ड, जीएसटी आदि प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तत्समय बिल प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां से अप्रार्थी कैलाश प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति चाही गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक/एफएसएसए/2025/95 दिनांक 23.07.2025 से अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। यदि अप्रार्थी द्वारा तत्समय खरीद बिल प्रस्तुत किया जाता तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा दोनों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति चाही जाती और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा जारी की जाती। अब उक्त बिल स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय अंतिमबहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (जे.एम.डी सरस) 500 एमएल** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/48/PHLK/Act/2025/48 दिनांक 18.02.2025 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 40,000/- रुपये (अक्षरे चालीस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित **मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क** आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)